particularly the India-China boundary on which the differences between China and India are well-known.

Ban on the sale of Maxaform

2972. SHRI RAMLAL RAHI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have banned the sale of 'mexaform' medicine on receiving complaints of its bad effect on the liver but even then it is being sold uninterrupted in the markets throughout the country; and

(b) if so, the stringent action proposed to be taken by Government in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) No.

(b) Question does not arise.

बरेली-हल्द्वानी-काठगोदाम लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2973. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बरेली-हलदवानी-काठगोदाम बड़ी लाइन के निर्माण को मंजूरी किस तारीख को दी गयी थी / प्राप्त हुई थी तथा इसके लिए प्रतिवर्ष कितनी कितनी धनराशि मुहैया की गयी; और

(ख) इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम कब तक पूरा हो जायगा ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बरेली और भोजीपुरा के बीच बड़े आमान की एक समानान्तर लाइन बिछाने और भोजीपुरा और काठगोदाम के बीच सीधे बदलाव से सम्बन्धित निर्माण कार्य की व्यवस्था 1981-82 के पूरक बजट में की गयी है । 1982-83 के दौरान इस काम के लिए 20 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी है । इस काम के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है । सर्वेक्षण पूरा हो जाने और योजना आयोग की स्वीकृति मिल जाने के बाद इस क्षेत्र का काम आरम्भ कर दिया जायेगा । योजना आयोग की स्वीकृति मिलने के पश्चात धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, इस काम के पूरा होने की लक्ष्य तिथि निर्धारित की जायेगी ।

रेल सुरक्षा दल

2974. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए उनके मंत्रालय ने कोई रेल-सुरक्षा दल गठित किया है ; और

(ख) इस दल में कौन-कौन व्यक्ति शामिल हैं और इसके मुख्य कार्यकलाप क्या हैं ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख). जी हां । गाड़ियों के सुरक्षित परिचालन में किसी प्रकार की कमी की जांच करने में तत्काल सुधार सुनिश्चित करने और रेलों की संरक्षा में वृद्धि करने के लिए आवश्यक इस प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से दो संरक्षा निगरानी दलों का गठन किया